सप्तदश बिहार विधान सभा

तृतीय सत्र

ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचना बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-27.07.2021 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है ।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
1.	श्री जनक सिंह, स०वि०स० श्री संजीव चौरसिया, स०वि०स० श्री अरूण कुमार सिन्हा, स०वि०स० श्री ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह, स०वि०स०	"सभी राज्यों के भर्ती आयोगों की मातृ संस्था संघ लोक सेवा आयोग है । संघ लोक सेवा आयोग अभ्यर्थियों की मेधा सूची के बीच असंतुलन न हो इसके लिए ऐच्छिक विषयों में Standard Evaluation Policy अपनाती है तथा Waiting List भी प्रकाशित करती है लेकिन बिहार लोक सेवा आयोग अपने स्थापन काल से ही आज तक न तो Standard Evaluation Policy की व्यवस्था रखे हुए है और न ही Waiting List प्रकाशित करती है । फलस्वरूप चयन में असंतुलन होता है । दिनांक-10.07.2018 को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग को Standard Evaluation Policy बनाये जाने हेतु निर्देश भी दिया गया है । साथ ही, यदि किसी एक-दो अभ्यर्थियों ने भी योगदान नहीं किया तो शेष बची नियुक्ति की रिक्ति के लिए फिर वही लंबी प्रक्रिया प्रारंभ की जाती है । इससे राज्य के बच्चों की मेधा को नुकसान पहुँचता है । अतः बिहार लोक सेवा आयोग को ऐच्छिक विषयों में Standard Evaluation Policy स्थापित करने तथा Waiting List प्रकाशित करने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।"	सामान्य प्रशासन

2. श्री अजीत शर्मा, स०वि०स० श्री समीर कुमार महासेठ, स०वि०स० श्री आनन्द शंकर सिंह, स०वि०स० श्री मुरारी प्रसाद गौतम, स०वि०स०	"राज्य में आरक्षण की 7 श्रेणी है यथा SC/ST/BC/EBC/ पिछड़े वर्ग की महिला, महिला एवं EWS आरक्षण । इन 7 श्रेणियों में से 6 श्रेणियों को आयु सीमा में छूट, बैकलॉग एवं बिहार तक सीमित रखा जाता है लेकिन आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों को न आयु सीमा में छूट दी जाती है, न बैकलॉग का लाभ दिया जाता है और न ही बिहार प्रदेश तक सीमित रखा जाता है । इस भेदभावपूर्ण नीति के कारण समाज में द्वेष फैल रहा है । इससे संविधान के अनुच्छेद 14-16 का भी पालन नहीं हो पा रहा है । अत: आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के साथ हो रहे भेदभाव को दूर कर इन्हें भी उम्र सीमा में छूट देने, बैकलॉग का लाभ देने तथा इनके आरक्षण को राज्य तक सीमित करने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।"	सामान्य प्रशासन

भूदेव राय
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-23/2021-2338 / वि०स०, पटना, दिनांक- 26 जुलाई, 2021 ई० ।

प्रति:- बिहार विधान सभा के माननीय सदस्यगण / माननीय मुख्यमंत्री / माननीय उप मुख्यमंत्रिगण / माननीय मंत्रिगण / मुख्य सचिव, बिहार एवं राज्यपाल के प्रधान सचिव / लोकायुक्त के आप्त सचिव / कार्यकारी सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना उच्च न्यायालय, पटना / संसदीय कार्य विभाग तथा सामान्य प्रशासन विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

26/7/21
(पांडव कुमार सिंह)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-23/2021-2338 / वि०स०, पटना, दिनांक- 26 जुलाई, 2021 ई० ।

प्रति:- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव / माननीय उपाध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव एवं प्रधान आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमश: माननीय अध्यक्ष महोदय / माननीय उपाध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित ।

26/7/21
(पांडव कुमार सिंह)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।